



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239196
CG-DL-E-28092022-239196

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944

No. 652]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 733(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 155 की उपधारा (18) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (वत्तीस्वां संशोधन)नियम, 2022 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2022 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में नियम 131 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“धारा 155 की उपधारा (18) के अधीन आय की पुनः संगणना करने के लिए आवेदन।

132. (1) अधिभार या उपकर की कटौती के लिए दावा अनुज्ञात किए बिना पूर्व वर्ष की कुल आय की पुनः संगणना हेतु प्रार्थना करने का आवेदन, जिसमें उक्त पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन कटौती के रूप में दावा किया गया और अनुज्ञात किया गया, 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व प्ररूप सं. 69 में किया जाएगा।

(2) प्ररूप सं. 69 प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) प्ररूप सं. 69 को प्रस्तुत करने और सत्यापित करने के लिए प्रक्रियाओं और मानकों को अभिकथित करेगा और प्ररूप सं. 69 में ग्रहण किए आवेदन को निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(4) निर्धारण अधिकारी, प्ररूप सं. 69 में आवेदन की प्राप्ति पर सुसंगत आदेश में संशोधन करते हुए, कुल आय की पुनः संगणना करेगा और धारा 156 के अधीन-

(i) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए, और

(ii) खंड (1) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए;

ऐसी समय-सीमा को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें संदेय कर की रकम यदि कोई हो, जिसका संदाय किया जाना है, सूचना जारी करेगा, यदि ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आदेश का परिणाम धारा 115 अकक और धारा 115 अघ के अधीन शेष अवक्षण के लिए हानि या मोक या कर के लिए प्रत्यय अग्रणीत करने में फेरफार होता है।

(5) निर्धारिती उपधारा (4) के अधीन विनिश्चित किए गए कर को संदाय करने के पश्चात् संदाय करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं. 70 में कर के संदाय के व्यौरे प्रस्तुत करेगा।

3. मूल नियम में, प्ररूप सं. 68 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप सं. 69

[नियम 132 देखिए]

धारा 155 की उपधारा (18) के अधीन आय की पुनः संगणना करने के लिए आवेदन

- (1) आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम
- (2) आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति का पैन या आधार सं. (यदि उपलब्ध हो)
- (3) ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया जाना है (यदि (1) से भिन्न हो)
- (4) उस व्यक्ति का पैन जिसके संबंध में आवेदन फाइल किया जाना है (यदि (2) से भिन्न हो)
- (5) पता
- (6) ई-मेल पता
- (7) मोबाइल संख्या
- (8) अधिभार और उपकर की कटौती के बिना कुल आय की संगणना करने के व्यौरे

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कटौती के रूप में दावा किए गए और अनुज्ञात किए गए अधिभार और उपकर की रकम	(3) में उल्लिखित रकम की कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् कुल आय/हानि	(3) में उल्लिखित रकम की कटौती अनुज्ञात करने के पश्चात् धारा 115 अख/115 अग के अधीन समझी गई कुल आय	(4क या 4ख) में आय पर संदत्त या संदेय कुल कर	(3) में उल्लिखित रकम की कटौती अनुज्ञात किए बिना कुल आय/हानि	(3) में उल्लिखित रकम की कटौती अनुज्ञात किए बिना धारा 115 अख/115 अग के अधीन समझी गई कुल आय	(6क या 6ख) पर संदेय कर	संदत्त किए जाने वाला शेष कर	हानि/शेष अवक्षण- एमएटी/एएमटी प्रत्यय के अग्रणीत पर समाघात टिप्पणीयां यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4क)	(4ख)	(5)	(6क)	(6ख)	(7)	(8) = (7)-(5)	(9)

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....जिस का पैना/आधार सं. यह.....है यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि जो भी वह ऊपर कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही, पूर्ण है और सत्यता से कहा गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं.....की है, हैसियत से आवेदन कर रहा हूँ और मैं यह आवेदन करने तथा इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

पता :

*संदेय कर जिसमें संदेय कर पर ब्याज, अधिभार और उपकर शामिल है।

#कुल आय/समझी गई कुल आय यथास्थिति नवीनतम निर्धारण/पुनःनिर्धारण/पुनःसंगणना आदेश के अनुसार रिपोर्ट की जानी चाहिए।

टिप्पण :

1. पंक्ति सं. (3) और (4) आवश्यक होनी चाहिए जहां :
 - (i) उत्तराधिकारी अस्तित्व, पूर्वाधिकारी अस्तित्व जो अस्तित्व में नहीं है, के लिए प्ररूप फाइल करना है
 - (ii) प्ररूप मृत व्यक्ति के विधिक उत्तराधिकारी द्वारा फाइल किया गया है
2. पृथक प्ररूप प्रत्येक पूर्वाधिकारी अस्तित्व, यदि वे एक से अधिक पूर्वाधिकारी हैं, के लिए फाइल किया जाना चाहिए
3. पृथक प्ररूप उत्तराधिकारी और पूर्वाधिकारी के लिए फाइल किया जाना चाहिए।

प्ररूप सं. 70

[नियम 132 दिखिए]

धारा 155 की उपधारा (18) के अधीन पुनः संगणित की गई आय पर कर के संदाय की निर्धारण अधिकारी को सूचना

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

.....

श्रीमती/श्रीमान

मैं,.....पुत्री/पुत्र श्री.....निवासी.....की अपनी हैसियत से.....जिसका पैना.....है यह सूचना देता हूँ कि आदेश जिसके ब्यौरे नीचे उल्लिखित हैं, द्वारा धारा 155(18) के परन्तुक के अनुसार पुनःसंगणित की गई कुल आय पर कर (जिसमें उस पर ब्याज, अधिभार और उपकर भी शामिल है) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संदत्त कर दिया गया है।

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आदेश की तारीख*	आदेश की दस्तावेज पहचान सं. (डीआईएन)	कर की रकम (जिसमें उस पर ब्याज, अधिभार और उपकर शामिल है)	चालान पहचान संख्या		
					बैंक शाखा का बीएसआर कूट	चालान क्रम सं.	कर संदाय की तारीख
कुल							

*तारीख/ मास /वर्ष

मैं, यह अनुरोध करता हूँ कि उपर्युक्त ब्यौरे रिकार्ड में अद्यतन किए गए हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जो कुछ कहा गया है वह ठीक है।

हस्ताक्षर :

तारीख :

पता :

[अधिसूचना सं. 111/2022/फा.सं. 370142/32/2022-टीपीएल]

ओम प्रकाश मीना, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.709(अ), तारीख 19.09.2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 733(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (18) of section 155 of the Income-tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (32nd Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the 1st day of October, 2022.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 131, the following rule shall be inserted, namely—

“Application for recomputation of income under sub-section (18) of section 155.

132. (1) An application requesting for recomputation of total income of the previous year without allowing the claim for deduction of surcharge or cess, which has been claimed and allowed as deduction under section 40 in the said previous year, shall be made in Form No. 69 on or before the 31st day of March, 2023.

(2) Form No. 69 shall be furnished electronically to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorized by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems).

(3) Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall lay down the procedures and standards for furnishing and verification of Form No. 69 and to forward the application received in Form No. 69 to the Assessing Officer.

(4) The Assessing Officer shall, on receipt of the application in Form No. 69, recompute the total income by amending the relevant order and issue notice under section 156 specifying the time period within which amount of tax payable, if any, is to be paid,—

(i) for the assessment year relevant to the previous year referred to in sub-rule (1); and

(ii) for the assessment years subsequent to the assessment year referred to in clause (i), if the order for such assessment year results in variation in carry forward of loss or allowance for unabsorbed depreciation or credit for tax under section 115JAA or section 115JD.

(5) The assessee shall, after making the payment of the tax determined under sub-rule (4), furnish the details of payment of tax in Form No.70 to the Assessing Officer within thirty days from date of making the payment.”.

3. In the principal rules, after Form No.68, the following Forms shall be inserted, namely:-

“Form No. 69

[See rule 132]

Application for recomputation of income under sub-section (18) of section 155

- (1) Name of the person filing the application :
- (2) PAN or Aadhaar number (if available) of the person filing the application :
- (3) Name of the person in respect of which the application is being filed (if different from (1)) :
- (4) PAN of the person in respect of which the application is being filed (if different from (2)) :
- (5) Address :
- (6) E-mail Id :
- (7) Mobile Number :
- (8) Details of computation of total income without deduction of surcharge and cess

S. No.	Assessment year	Amount of surcharge and cess claimed and allowed as deduction	Total income/loss after allowing deduction of amount mentioned in (3) #	Deemed Total Income under section 115JB/115 JC after allowing deduction of amount mentioned in (3)#	Total taxes paid or payable on income at (4A or 4B)*	Total income/loss without allowing deduction of amount mentioned in (3)#	Deemed total income under section 115JB/115 JC without allowing deduction of amount mentioned in (3)#	Tax payable on (6A or 6B)*	Balance tax to be paid	Impact on carry forward of loss/unabsorbed depreciation/MAT/AMT Credit, remarks if any
(1)	(2)	(3)	(4A)	(4B)	(5)	(6A)	(6B)	(7)	(8) = (7)-(5)	(9)

VERIFICATION

I..... son/daughter of having PAN/Aadhaar number..... do hereby declare that to the best of my knowledge and belief what is stated above is correct, complete and truly stated. I also declare that I am making application in my capacity as of and I am also competent to make this application and verify it.

Date: Signature:

Place: Address:

*Tax payable includes interest, surcharge and cess on the tax payable.

Total income/deemed total income should be reported as per latest assessment/ reassessment/ recomputation order, as the case may be.

Note:

1. Row no. (3) and (4) would be needed where:

- (i) the successor entity is filing the Form for predecessor entity who is no longer in existence
- (ii) the Form is filed by the legal heir of deceased person

2. Separate Form must be filed for each predecessor entity if there are more than one predecessors

3. Separate Form must be filed for successor and predecessor.

Form No. 70

[See rule 132]

Intimation to the Assessing Officer of the payment of tax on income recomputed under sub-section (18) of section 155

To,
The Assessing Officer,
.....

Madam/Sir,

I,.....daughter/son of, in my capacity as of, having(quote PAN) hereby intimate that tax (including interest, surcharge and cess thereon) on total income recomputed, as per proviso to section 155(18), by orders, details of which are mentioned herein below, has been paid as per the details below:

S. No.	Assessment Year	Date of Order*	Document Identification No. (DIN) of Order	Amount of tax (including interest, surcharge and cess thereon)	Challan Identification Number		
					BSR code of the Bank branch	Challan serial no.	Date of payment of tax*
Total							

*dd/mm/yyyy

I, therefore, request that the above details may be updated in the record. I hereby declare that what is stated above is correct.

Signature

Date

Address”.

[Notification No. 111/2022/F. No. 370142/32/2022-TPL]

Om Prakash Meena, Under Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R.709 (E) dated 19.09.2022

